

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 13/5/26

विषय- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की योजना को कार्यान्वित किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 1,37,49,118 (एक करोड़ सैंतीस लाख उनचास हजार एक सौ अठारह रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अध्याचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 1,37,49,118 (एक करोड़ सैंतीस लाख उनचास हजार एक सौ अठारह रुपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अध्याचना आई०डी०	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, लखीसराय	33379	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, लखीसराय के परिसर में अतिरिक्त सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, प्राध्यापक आवास एवं गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य (विद्युतीकरण कार्य सहित)	1577 / 25.03.25	₹ 1,37,49,118/- (एक करोड़ सैंतीस लाख उनचास हजार एक सौ अठारह रुपये)
योग:-					₹ 1,37,49,118/-

(एक करोड़ सैंतीस लाख उनचास हजार एक सौ अठारह रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघु शीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0117-इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनों (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) कोड-03-4059800510117 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0117.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय होंगे।
- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, लखीसराय से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक- 7591 (अ)

पटना, दिनांक- 13/5/26

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।